उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
हरिद्वार–249404

संख्याः 69 / 70 / 01 / डी0आर0(मा0शि0) / सेवा–1 / 2019–20 दिनांकः 01 सितम्बर, 2021

विज्ञप्ति
उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग– समूह 'ग') सेवा (सामान्य एवं महिला शाखा) परीक्षा– 2020

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग– समूह 'ग') सेवा (सामान्य एवं महिला शाखा) परीक्षा–2020 हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या : A-1/S-1/2020 दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 के बिन्दु संख्या–14 में अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावित अर्हताओं के सापेक्ष प्रेषित अभिलेखों एवं प्रमाण–पत्रों की सन्निरीक्षा के संबंध में व्यवस्था का उल्लेख किया गया है।

उक्त के संबंध में मा0 आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रश्नगत परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन के बिन्दु संख्या–14 (05) में उल्लिखित सन्निरीक्षा की व्यवस्था में वर्तमान में कोविड–19 की विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत संशोधन करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु औपबन्धिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों एवं प्रमाण–पत्रों का मिलान तथा अभिलेखों एवं प्रमाण–पत्रों की सन्निरीक्षा का कार्य मुख्य परीक्षा के उपरान्त, अंतिम चयन परिणाम घोषित किये जाने से पूर्व किया जायेगा।

विज्ञापन की अन्य शर्तें एवं नियम यथावत रहेंगे।

Sd/-
(कर्मेन्द्र सिंह)
सचिव।